③ I 2122

बयनामा

बयनामा 3,25,000/- /रु० मालियत 4,00,000/-/रु० स्टाम्प 40,000/- /रु०

मै कि भोलू वलद श्री तफज्जल निवासी पंडित नंगला तहसील व जिला मुरादाबाद का हूँ ।

....

जो कि एक किता जायदाद जैल व जमी तालूकात मुतालिलका उसके बाकै मौजा पंडितनंगला बाहर चुंगी ब्लाक व परगना व जिला मुरादाबाद महदूदा जैल जिसके मुकिर/मुकिरान बहैसियत मालिकाना मालिक काबिज व दखोल है जिसको निस्बत मुझको/हमको कुल अख्तयारात इन्तकालात मालिकाना प्राप्त है कोई आम्रमाने इन्तकाल हाजा नहीं है जो इस समय तक हर प्रकार के बार मिस्ल रहन, बय, हिबा, जमानत, किफालत, कुर्की व नीलामी, मुआयदा बय दीगरे लोन सरकारी व गैर सरकार गरज की हर नुक्स कानूनो व शास्त्री आदि से कतई बरी व पाक साफ है। लिहाजा बहालत दुरुस्ती होस हवास खमसा बिला बहकाये व सिखाये व दबाव नाजायज किसी के खूब सोच समझकर तमामो शयमुबईया मजकूरा वाला को मय तमामी हदूद व हकूक दाखलो व खारजी व मय हकूक आबरेजो हर किस्म व मय हक रास्ता आमोदरफ्त व मय दीगर कुल हक व हकूक मुतालिलका उसके को बिला छोड़े किसी जुज व हक व हिस्से के बिलएवज

मुबलिग .... 3,25,000/- तीन लाख पच्चीस हजार रूपये ....

आधे जिसके .... 1,62,500/- एक लाख बासठ हजार पांच सौ .... रुपये होते है।

बदस्त .... श्रीमति आयशा जफर पत्नी श्री मुहम्मद जफर ....

निवासी मौहल्ला पीरगैब शहर मुरादाबाद ।

बय कतई और फरोक्त कामिल करके कुल जरे समन उसका हस्ब तफसील जैल खरीदार से वसूल पाकर तमामी शयमुबईया मजकूरा वाला का कब्जा व दखल मालिकाना मिस्ल जात खास अपनी के खरीदार मजकूर का करा दिया मैंने/हमने अब मेरा/हमारा या किसी वारिस का कुछ हक व तालुक मालिकाना व दावा किसी किस्म का निस्बत शयमुबईया या जरे समन उसके से बाकी नहीं रहा और न आइन्दा कभी होगा। चुनांचे तकाबिजुल बदलेन उसका बाहम विक्रेता और खरीदार मजकूर के अमल में आ गया जुमला जमाने दर्क व इस्तहकाक उसका व जिम्मे मेरे/हमारे है अगर बाद को कोई नुक्स कानूनन या शास्त्रन वाके आवे। अगर बाद को किसी वक्त में किसी फेल विक्रेता या कर्जख्वाह या औलाद या अन्य किसी दीगर शख्स की दावेदारी से शयमुबईया का जुज या कुल कब्जे खरीदार या वारिसान उनके से निकल जावे या बगरज तहफ्फुज शयमुबइया खरीदार को कुछ सर्फा मजीद खर्चे या अदा करना पड़े तो उसी कदर जरे समन का वापसी का मुकिर/मुकिरान मजकूर अपनी जात व दीगर जायदाद मनकूला व गैर मनकूला हर किस्म अपनी से कुल हर्जे व खर्चे अदालती सहित देनदार व जिम्मेदार रहूँगा/रहेंगे बनीज आज तक की तमामी कानूनी देनदारियां व जिम्मेदारियां बजिम्मे मुकिर/मुकिरान होगी। अब खरीदार को हक व अधिकार है कि यह कागजात सरकारी में से हमारा नाम खारिज कराकर अपना नाम दर्ज करा लें विक्रेता वारिसान मुकिरान को कुछ उज्र व एतराज न होगा । अतः यह बयनामा कतई लिख दिया ताकि सनद रहे और वक्त जरुरत पर काम आवे। इति।

तफसील वसूली जरे समन .... अंकन 3,25,000/-रु0 कब्ल रजि0 बयनामा प्राप्त किये ।

....

तफसील जायदाद .... जो कि आराजी काश्त भूमिधारी रकबई 1.00 एकड़

निशानी भोलू
AU

Ahmad Zafar

3 पृष्ठ
500000/-

फीस पंजी० ... ... नकल ... याय ... योग
50000/- ... 10/- ... 1/- ... 50201/-

33

श्री ओल्लू ... पुत्र/पत्नी श्री रामस्वरूप
पेशा खेती निवासी पांडे नगला
तहसील व जिला मुरादाबाद के मा...प्रस्तुत मात्र दिनांक 2-6-99
को समय ... बजे दिन कार्यालय
उप-निबंधक प्रथम मुरादाबाद में प्रस्तुत किया।

नि० ओल्लू

उप नि० (प्रथम)
2.6-99

इस लेख-पत्र का निष्पादन करना तथा तीन लाख पच्चीस हजार
पूर्ण प्राप्त करना तथा ह०
~~मेरे समक्ष नकद प्राप्त करना~~ श्री ओल्लू उक्त

स्वीकार किया। जिनकी पहचान श्री मो० मुस्तकीम
पुत्र श्री करीम बख्श निवासी लाकड़ी वाला
तथा श्री मो० अशरफ अंसारी पुत्र ... पांडे नगला
ने की।

उप नि०
2-6-99

नि० ओल्लू

मो० मुस्तकीम

मो० अशरफ अंसारी

... बोध-पूर्वक लिए गए हैं।

00CC 819849

-2-

एक एकड मिनजुमला कुल रकबई 5•20 एकड बाबत खसरा नम्बरी आठ बटा बारह 8/12 स्थित ग्राम पंडित नंगला बाहर हद्दनगर पालिका तहसील व परगना व जिला मुरादाबाद का मै मुकिर अजतर्का पिदरी बहैसियत भूमिधार मालिक काबिज व दखील हूँ । गाटा संख्या 8/12 का कुल

- 1 JUN 1999

आज दिनांक .... को एक किता स्टाम्प
कीमत के 20000 का श्रीमति आयशा जफर W/o मो० जफर पीरजेब मुरादाबाद
को उपरोक्त धनराशि रु० 35000
स्टाम्प में निम्न मूल्य वर्ग के स्टाम्प समाविष्ट
करके [illegible] कोषागार, मुरादाबाद

मुख्य रोकड़िया
कोषागार, मुरादाबाद

20000 X 1 = 20000
15000 X 1 = 15000
35000

कार्यालय मुख्य कोषाधिकारी
दिनांक ....
मुरादाबाद

- 1 JUN 1999

मुख्य रोकड़िया
कोषागार, मुरादाबाद

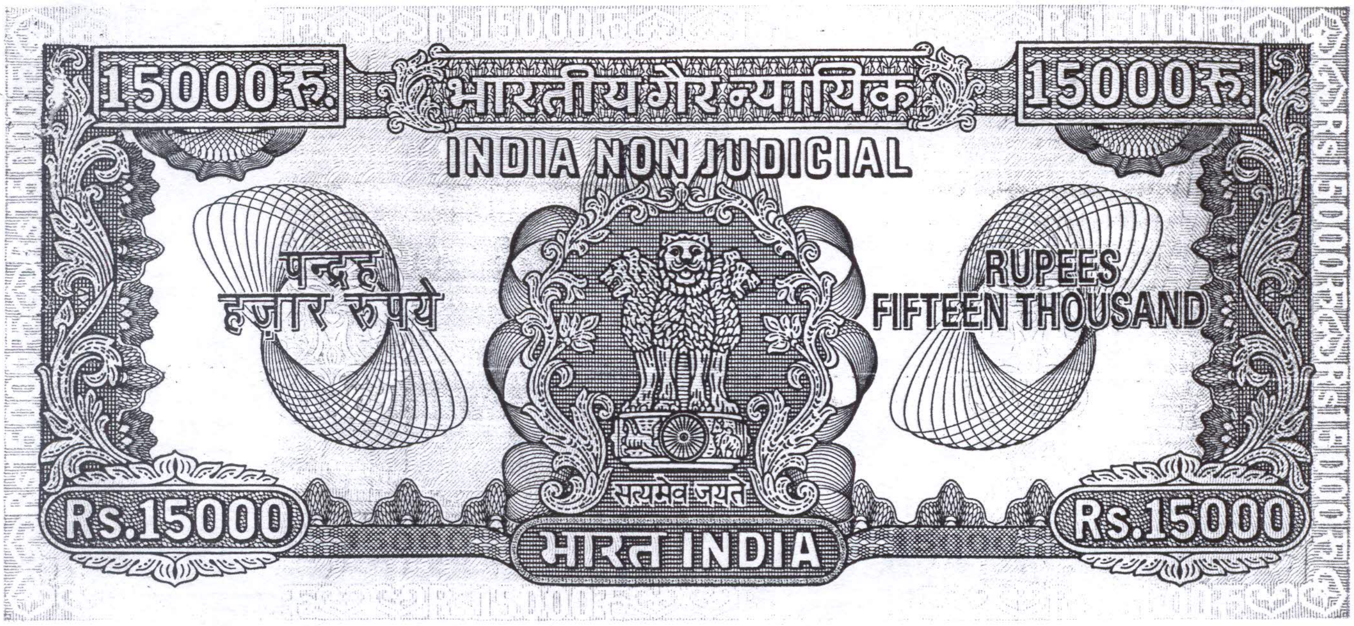

00BB 960713

रकबा 5·20 एकड है जिसमें मुकिर का 1/2 भाग था

यानि इस गाटे में से 2·60 एकड आराजी मुकिर के हिस्से

में आती थी जिसमें से 1·60 एकड को मै मुकिर खारीदारा

हाजा के हक में बजरिये बयनामा मुवर्रखा 25-8-94 मुन्तकिल

कर चुका हूँ शेष 1·00 एकड (एक एकड) को बजरिये बयनामा

हाजा खारीदारा हाजा के पक्ष में मुन्तकिल किया जा रहा

है जो कि आराजी इस वक्त तक हर किस्म के बार सेकताई बरी

अ०

- 1 JUN 1999

आज दिनांक .... को एक जिला स्टाम्प

कीमत के 15000 का श्रीमति आयशा जफर W/o मो० जफर पीर जैब मुरादाबाद

को उपरोक्त धनराशि रु० 35000 से

स्टाम्प में [illegible] के स्टाम्प [illegible]

[illegible] कोषागार, मुरादाबाद

[illegible]

मुख्य रोकड़िया
कोषागार, मुरादाबाद

20000 X 1 = 20000
15000 X 1 = 15000
35000

मुख्य रोकड़िया
कोषागार, मुरादाबाद

कार्यालय मुख्य कोषाधिकारी
दिनांक ....
मुरादाबाद

- 1 JUN 1999

आयशा जफर प० मो० जफर नि० पीरगैब (मुरादाबाद)

2ढ दिनांक 1.6.99

कुल दिये 5 कुल मूल्य स्टाम्प 5000

मुनस अली स्टाम्प विक्रेता

लाइसेंस नं. 42/C.M

1.6.99

कार्यालय मुख्य कोषाधिकारी

दिनांक

मुरादाबाद

26 MAY 1999

1000x5 = 5000

बाद संख्या - 1247

आदेश दिनांक 6.8.2001

10.9.2001

कार्यालय तहसीलदार मुरादाबाद

फोटो स्टेट प्रति

68

2129

उप निबन्धक प्रथम

मुरादाबाद

वाद सं० 322/99(M)

सरकार बनाम Smt आयशा जफर

आदेश दि० 9-3-2000

स्टाम्प अधिनियम सन् 1899 की धारा

40 के अन्तर्गत प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि इस प्रलेख पर

पूर्ण स्टाम्प है।

अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)

13/3/2000 मुरादाबाद